परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

संख्या–3629 एलएएस/2012–पं०मि० एलएएस/98 दिनांक : 01 सित0 10 अक्टूबर :2012

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

2–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

2–समस्त सहायक विधि अधिकारी
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–**मोटर दुर्घटना से संबंधित अपील में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषयक मोटर दुर्घटना वादों में पारित होने वाले निर्णय के विरूद्व उ0प्र0 परिवहन निगम/क्लेमेन्ट द्वारा योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से पारित स्थगनादेश/अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अभीष्ट धनराशि विभाग द्वारा मा0 न्यायालयों में जमा करायी जाती है तथा परिवहन निगम द्वारा अपील योजित करते समय भी एम0वी0 ऐक्ट की धारा–173 के अन्तर्गत Statutory Amount भी जमा किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपील अन्तिम रूप से निस्तारित करते समय कतिपय मामलो में स्थगनादेश के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि को पूर्णतः अथवा अंशतः विभाग को वापस करने के आदेश पारित किये जाते हैं, साथ ही Statutory Amount के रूप में जमा की गयी धनराशि का समायोजन किये जाने के आदेश भी पारित किये जाते हैं।

कृपया अपने क्षेत्रो से संबंधित ऐसे समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विभाग को वापस प्राप्त होने वाली धनराशि/ Statutory Amount विभाग को प्राप्त/समायोजित हो गयी है, जिन प्रकरणों से संबंधित धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर धनराशि वापस प्राप्त करने/समायोजित कराने की कार्यवाही तत्परता के साथ करायी जाय तथा इस प्रकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का लेखा–जोखा/रखरखाव प्रकरणवार क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्थित कर लिया जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com